

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 871

23 Kartik, 1938 (S) Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 201**7**

NOTIFICATION No-45/2017 State Tax (Rate)

S.O. No. 125- Dated -14th **November, 2017--** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, on the recommendations of the Council, hereby exempts the goods specified in column (3) of the Table below, from the so much of the State tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as in excess of the amount calculated at the rate of 2.5 percent., when supplied to the institutions specified in the corresponding entry in column (2) of the Table, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table-

Table

S.	Name of the	Description of the	Conditions
No.	Institutions	goods	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Public funded	(a) Scientific and	(i) The goods are
	research institution	technical instruments,	supplied to or for –
	other than a hospital	apparatus, equipment	(a) a public funded
	or a University or an	(including computers);	research institution
	Indian Institute of	(b) accessories, parts,	under the
	Technology or	consumables and live	administrative control
	Indian Institute of	animals (experimental	of the Department of
	Science, Bangalore	purpose);	Space or Department
	or a National	(c) computer software,	of Atomic Energy or

Institute Technology/ Regional Engineering College Compact Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d)Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in financial year.

Disc-Read the Defence Research Development Organisation of the Government of India and such institution producesa certificate to that effect from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India the Deputy or Secretary to the State Government or the Deputy Secretary in the Union Territory in the concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; or

- (b) an institution registered with the Government of India in the Department of Scientific and Research such and institution produces a certificate from officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India Deputy the Secretary to the State Government or Deputy Secretary in the Union territory in concerned department to the supplier at the time of supply of the specified goods; (ii) The institution
- (ii) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only;

r			
			(iii) In the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.
2.	Research institution, other than a hospital	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) computer software, Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.	each case, certifying

			Experiments on Animals. (2) The goods falling under (1) above shall not be transferred or sold by the institution for a period of five years from the date of installation.
3.	Departments and laboratories of the Central Government and State Governments, other than a hospital	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms, microfiches; (d) Prototypes, the aggregate value of prototypes received by an institution does not exceed fifty thousand rupees in a financial year.	(i) The institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution, in each case, certifying that the said goods are required for research purposes only; (ii) in the case of supply of live animals for experimental purposes, the institution produces, at the time of supply, a certificate to the supplier from the Head of the Institution that the live animals are required for research purposes and enclose a no objection certificate issued by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.
4.	Regional Cancer Centre (Cancer Institute)	(a) Scientific and technical instruments, apparatus, equipment (including computers); (b) accessories, parts, consumables and live animals (experimental purpose); (c) Computer software, Compact Disc-Read Only Memory(CD-ROM), recorded magnetic tapes, microfilms,	(i) The goods are supplied to the Regional Cancer Centre registered with the Government of India, in the Department of Scientific and Research and such institution produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the

	microfiches.	Government of India
		or the Deputy
		Secretary to the State
		Government or the
		Deputy Secretary in
		the Union territory in
		concerned department
		to the supplier at the
		time of supply of the
		specified goods;
		(ii) the institution
		produces, at the time
		of supply, a certificate
		to the supplier from
		the Head of the
		Institution, in each
		case, certifying that
		the said goods are
		required for research
		purposes only;
		(iii) in case of supply
		of live animals for
		experimental
		purposes, the
		institution produces,
		at the time of supply,
		a certificate to the
		supplier from the
		Head of the Institution
		that the live animals
		are required for
		research purposes and
		enclose a no objection
		certificate issued by
		the Committee for the
		Purpose of Control
		and Supervision of
		Experiments on
		Animals.

Explanation. - For the purposes of this notification, the expression, -

- (a) "Public funded research institution" means a research institution in the case of which not less than fifty per-cent. of the recurring expenditure is met by the Central Government or the Government of any State or the administration of any Union territory;
- (b) "University" means a University established or incorporated by or under a Central, State or Provincial Act and includes -
- (i) an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) to be a deemed University for the purposes of this Act;

- (ii) an institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance;
- (iii) a college maintained by, or affiliated to, a University;
- (c) "Head" means -
- (i) in relation to an institution, the Director thereof (by whatever name called);
- (ii) in relation to a University, the Registrar thereof (by whatever name called);
- (iii) in relation to a college, the Principal thereof (by whatever name called);
- (d) "hospital" includes any Institution, Centre, Trust, Society, Association, Laboratory, Clinic or Maternity Home which renders medical, surgical or diagnostic treatment.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 15thday of November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal, Principal Secretary-cum Commissioner.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना 14 नवम्बर, 2017

अधिसूचना संo. 45/2017- राज्य कर (दर)

एस. ओ. - 125 दिनांक 14 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017(2017 का 12) (इस अधिसूचना में एतिश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एततद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत उन पर लगाए गए राज्य कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति किए जाने पर 2.5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक होते हैं बशर्तें की उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों-

सारणी

क्रम	संस्थानों का नाम	वस्तुओं का विवरण	शर्तें
सं.			
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्वजनिक कोष से	(क) वैज्ञानिक और	(i) इन वस्तओं की
	सहायता प्राप्त	तकनीकी उपकरण,	आपूर्ति निम्नलिखित
	संस्थान या	उपस्कर, औजार	को या के लिए की
	विश्वविद्यालय या	(कम्प्यूटर समेत);	जाती हो -
	भारतीय प्रोद्योगिकी	(ख) सहायक वस्तुएं,	(क) भारत सरकार के
	संस्थान या भारतीय	कलपूर्जें, उपभोग वाली	अंतरिक्ष विभाग या
	विज्ञान संस्थान	वस्तुएं और जीवित पशु	परमाणु ऊर्जा विभाग
	बैंगलोर या राष्ट्रीय	(प्रयोग के उद्देश्य से);	या रक्षा अनुसंधान
	प्रोद्योगिकी	(ग) कम्प्यूटर	विभाग संगठन के
	संस्थान/क्षेत्रीय	साफ्टवेयर काम्पेक्ट	प्रशासनिक नियंत्रण में

इंजीनियरिंग अस्पताल से भिन्न हों।

कालेज डिस्क-रीड मेमोरी (सीडी-रोम), संस्थान रिकोर्डेड टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, वित्त माइक्रोफिसेस; (ਬ) प्रोटोटाइप्स का सकल उप मूल्य जोकि संस्थान द्वारा प्राप्त राज्य सरकार या उप किया जाता है किसी सचिव, संघ राज्य के एक वित्तीय वर्ष में 50,000 र से अधिक

न हो।

ऑनली आने वाले अनुसंधान जिनको मेगनेटिंग सार्वजनिक कोष से पोषित हो और जाता ऐसा प्रोटोटाइप्स, संस्थान कम से कम सचिव, भारत किसी सरकार या उप सचिव, के अधिकारी, स्तर संबंधित विभाग प्राप्त इस आशय का विशिष्ट प्रमाण-पत्र वस्तुओं की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; या (ख) कोई संस्थान जोकि भारत सरकार विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को

			प्रस्तुत करता हो;
			(ii) ऐसा संस्थान,
			आपूर्ति के समय
			आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक
			मामले में संस्थान के
			प्रमुख से प्राप्त इस
			आशय का प्रमाण पत्र
			प्रस्तुत करे की उक्त
			माल की जरूरत
			अनुसंधान के उद्देश्य
			के लिए है;
			(iii) जीवित जंतुओं की
			आपूर्ति के मामले में,
			प्रयोग के उद्देश्य के
			लिए, ऐसा संस्थान
			आपूर्ति के समय
			आपूर्तिकर्ता को ऐसे
			संस्थान के प्रमुख से
			प्राप्त इस आशय का
			प्रमाणपत्र प्रस्तुत
			करता हो कि ऐसे
			जीवित जीव जंतु की
			अनुसंधान के लिए
			जरूरत है और साथ
			ही वह प्रणियों पर
			प्रयोग के नियंत्रण और
			निरीक्षण के उद्देश्य
			संबंधी समिति के
			द्वारा जारी एक
			अनापत्ति प्रमाण पत्र
			भी संलग्न करता हो।
2.	अस्पताल से भिन्न	(क) वैज्ञानिक और	(1) ऐसे संस्थान जो
	अनुसंधान संस्थान	तकनीकी उपकरण,	भारत सरकार के
	<u> </u>		1

उपस्कर, (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्त्एं, हो;जोिक -कलपूर्जें, उपभोग वाली (i)आपूर्ति के वस्तुएं और जीवित पशु आपूर्तिकर्ता (प्रयोग के उद्देश्य से); संस्थान के प्रमुख से (ग) साफ्टवेयर काम्पेक्ट प्रमाणपत्र, डिस्क-रीड मेमोरी (सीडी-रोम), करता हो कि उक्त रिकोर्डेड टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, उद्देश्य माइक्रोफिसेस; प्रोटोटाइप्स, इसका (ਬ) प्रोटोटाइप्स का सकल उद्देश्य मूल्य जोकि संस्थान द्वारा प्राप्त (ii) जीवित जंत्ओं की किया जाता है किसी आपूर्ति के मामले में,

न हो।

औजार विज्ञान एवं अन्संधान पंजीकृत विभाग में को कम्प्यूटर प्राप्त इस आशय का प्रत्येक ऑनली मामले में प्रस्त्त मेगनेटिंग वस्तु अनुसंधान के लिए और आवश्यक प्रयोग उक्त लिए ही के किसी किया जाएगा; वित्तीय वर्ष में प्रयोग के उद्देश्य के 50,000 र से अधिक लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रम्ख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत हो कि ऐसे करता जीवित जीव जंत् की अन्संधान के **लिए** जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य

संबंधी

समिति

जारी दवारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो। (2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को संस्थान के द्वारा स्थापित किए जाने के 5 वर्ष की अवधि तक न तो स्थानांतरित ही बेचा जाएगा न जाएगा। केंद्र सरकार और और | (i) वैज्ञानिक 3. (क) यह संस्थान, उपकरण, आपूर्ति राज्य सरकारों के के तकनीकी समय विभाग और औजार आपूर्तिकर्ता उपस्कर, (कम्प्यूटर समेत); संस्थान के प्रमुख से प्रयोगशालाएं. अस्पताल से भिन्न (ख) सहायक वस्त्एं, प्राप्त इस आशय का कलपूर्जें, उपभोग वाली प्रमाणपत्र, प्रत्येक वस्त्एं और जीवित पश् मामले में प्रस्त्त (प्रयोग के उद्देश्य से); करता हो कि उक्त कम्प्यूटर वस्तु अनुसंधान (ग) काम्पेक्ट उद्देश्य के लिए साफ्टवेयर डिस्क-रीड ऑनली | आवश्यक हे और (सीडी-रोम), इसका मेमोरी प्रयोग रिकोर्डेड मेगनेटिंग | उद्देश्य लिए ही के माइक्रोफिल्म्स, किया जाएगा; टेप्स, जीवित जंतुओं माइक्रोफिसेस; (ii) प्रोटोटाइप्स, की आपूर्ति के मामले (ਬ) प्रोटोटाइप्स का सकल में, प्रयोग के उद्देश्य मूल्य जो कि किसी के लिए, ऐसा संस्थान संस्थान द्वारा प्राप्त आपूर्ति के समय किया जाता है किसी आपूर्तिकर्ता को वित्तीय वर्ष में संस्थान के प्रम्ख से

50,000 र से अधिक प्राप्त इस आशय का न हो। प्रमाणपत्र प्रस्त्त हो कि ऐसे करता जीवित जीव जंत् की अन्संधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति जारी दवारा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो। क्षेत्रीय कैंसर सेंटर और (i) ऐसी वस्तुओं की वैज्ञानिक 4. (क) उपकरण, आपूर्ति भारत सरकार (कैंसर संस्थान) तकनीकी औजार के विज्ञान एवं उपस्कर, अन्संधान विभाग में (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, पंजीकृत क्षेत्रीय कैंसर कलपूर्जें, उपभोग वाली केंद्र को की जा रही हो वस्त्एं और जीवित पश् और ऐसा संस्थान कम (प्रयोग के उद्देश्य से); से कम भारत सरकार कम्प्यूटर के (ग) सचिव **3**प काम्पेक्ट राज्य सरकार के उप साफ्टवेयर डिस्क-रीड ऑनली | सचिव या संघ राज्य (सीडी-रोम), मेमोरी सचिव. के **3**प रिकोर्डेड मेगनेटिंग | संबंधित विभाग माइक्रोफिल्म्स, टेप्स, स्तर के अधिकारी से माइक्रोफिसेस; प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट की माल आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्त्त करता हो; (ii) यह सस्थान,

आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता संस्थान के प्रम्ख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्त्त करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है: (iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्त्त करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।

- (क) "सार्वजिनक कोष से पोषित वित्त संस्थान" से अभिप्राय ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिनके व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन दवारा वहन किया जाता हो;
- (b) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय ऐसे विश्वविद्यालय से है जिनकी स्थापना या निगमन किसी केंद्र राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत ह्आ हो और इसमें शामिल हैं-
- (i) ऐसा कोई संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;
- (ii) ऐसा कोई संस्थान जिसे संसद के द्वारा किसी कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया हो;
- (iii) कोई कालेज जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जाता हो या उससे संबद्ध हो;
- (ग) "प्रम्ख" से अभिप्राय-
- (i) किसी संस्थान के मामले में उसके निदेशक से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (ii) किसी विश्वविद्यालय के मामले में उसके रजिस्ट्रार से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (iii) किसी कालेज के मामले में उसके प्रधानाचार्य से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (d) "अस्पताल" में शामिल है ऐसे कोई भी संस्थान, सेंटर, न्यास, समिति, संघ, प्रयोगशाला या मैटरनिटी होम जो कि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक सेवा प्रदान करते हों।
- 2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

> **के॰ के॰ खण्डेलवाल,** प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।
